

संख्या: 24 /2025/1021/डिहतर-1-2025-1348899

पेपक,

डा० अम्वरीप कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-55/W-409(E-2)/2025-26, दिनांक 07 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के मद में ₹0 1217.50 लाख को स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संवंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-93 के अन्तर्गत नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में ₹0 608.75 लाख (रुपये छः करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित मदवार/ शर्ता/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के नियन्त्रण पर रखे जाने की राज्यपाल सहाय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान (वर्ष 2025-26)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3
01-वेतन	460.00	230.00
03-मैरगाई भत्ता	276.00	138.00
04-घात्र व्यय	5.00	2.50
05-स्नानान्तरण घात्र व्यय	2.50	1.25
06-अन्य भत्ता	7.00	3.50
07-मानदेय	4.00	2.00
08-वर्षापूर्ति व्यय	20.00	10.00
09-विद्युत देय	30.00	15.00
11-लेखन सामग्री और कार्यों की छपाई	10.00	5.00
12-कार्यालय पर्यावरण एवं उपकरण	20.00	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	8.00	4.00
15-मजदूरों का भुगतान और वेतन आदि की छपाई	120.00	60.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00	10.00
17-प्रशिक्षण उर श्रुत एवं कर स्वामित्व	60.00	30.00
29-अनुदान	3.00	1.50
42-अन्य व्यय	30.00	15.00
44-प्रशिक्षण हेतु घात्र एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.50

45-अवकाश वाता व्यव	1.00	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/प्रिण्टिंग का क्रय	50.00	25.00
47-कम्प्यूटर अनुक्षण/ तस्मन्धी स्टेशनरी का क्रय	10.00	5.00
49-निकिता व्यव	30.00	15.00
55-मकान किराया भत्ता	50.00	25.00
योग -	1217.50	608.75

(रुपये छः करोड आठ लाख पचहत्तर हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 2. आंकड़ों की शुद्धता एवं प्रशस्त धनराशि के अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
 3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/ डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
 4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
 5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
 8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग निर्धारित मर्दानों में ही किया जायेगा।
- 3- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति निदेशालय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च 2025 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
भवदीय,
Ambrish Kumar SinghDate: 21-04-2025 17:04:48
(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 24 / 2025/1021(1)/छिहतर-1-2025-31 बजट/2017, तद्विनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/2, वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
(ओम प्रकाश चौहान)
Om Prakash Chauhan

Date: 21-04-2025 17:12:41